

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2192/2010/अलवर

मैसर्स भवानी सिलिकेट इण्डस्ट्रीज़

A-7, गंगवान पार्क, जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी

प्रतिकरापवंचन, जोन-II जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रमेश गुप्ता

अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह

उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 26/12/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे "अपीलार्थी" कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय प्राधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 68/आरवैट/जे/2009-2010 में दिये गये निर्णय दिनांक 02.07.2010 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसमें अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-II, जयपुर (जिसे आगे "सक्षम प्राधिकारी" कहा जायेगा) के आदेश की पुष्टि की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी का सर्वेक्षण दिनांक 22.09.2008 को किया गया था तथा व्यवसाय स्थल पर उपलब्ध लेखा पुस्तकों की जांच की गई तथा सर्वेक्षण के समय व्यवसाय स्थल पर पाये गये कुछ प्रपत्रों को सत्यापनार्थ लिया गया। सर्वेक्षण तिथि को अपीलार्थी द्वारा जारी किये गये अन्तिम बिल का क्रमांक 991 दिनांक 22.09.2008 था परन्तु जांच पर इससे पूर्व के बिल क्रमांक 984, 985 एवं 986 विक्रय बिल पत्रावली में नहीं पाये गये थे जिस बाबत सर्वेक्षण के समय अपीलार्थी द्वारा यह बताया गया कि उक्त तीनों बिल उसके ब्रोकर मैसर्स राज ब्रोकर्स, चांदपोल मण्डी जयपुर के पास हैं। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.09.2008 को सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर उक्त तीनों संख्यांक के बिक्री बिल जो कि दिनांक 20.09.2008 को जारी थे, प्रस्तुत किये गये। निर्धारण प्राधिकारी ने इसे पश्च-विचारित (afterthought) कार्यवाही मानते हुए इन बिलों में दिखाई गई सरसों खल रुपये 520201/- की बिक्री करवंचना की नीयत से किये जाने के कारण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम

2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

3. अपने प्रत्युत्तर में अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि ट्रेड प्रेक्टिस के अनुसार लूज बिल ब्रोकर को देने पड़ते हैं। इस कारण से मौके पर बिल पेश नहीं किये जा सके थे। निर्धारण प्राधिकारी ने यह निर्णीत किया कि जब अपीलार्थी को सर्वेक्षण के समय भली-भांति पता था कि दो दिन पूर्व अर्थात् 20.09.2008 को ही उसने इन प्रश्नगत बिलों से विभिन्न व्यवसायों को माल विक्रय किया है, परन्तु जाँच के समय उक्त बिक्री बिलों से सम्बन्धित माल के खरीद की कोई जानकारी उसके द्वारा नहीं दी गई थी। इस कारण उक्त माल को करवंचना की नियत से लेखा पुस्तकों में खरीद बिक्री की प्रविष्टि किये बिना ही बेचान किया जाना पाये जाने के कारण आदेश दिनांक 02.06.2009 के द्वारा कर रुपये 20808/- तथा शास्ति रुपये 41606/- एवं ब्याज रुपये 1664/- कुल रुपये 64088/- का आरोपण किया गया।

4. उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इसकी अपील अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष की गई जो कि आदेश दिनांक 02.07.2010 द्वारा अस्वीकार कर दी गई। अपीलीय प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि विवादित माल करापवंचन की नियत से बिना नियमित हिसाबी पुस्तकों में खरीद एवं बिक्री इन्द्राज किये बगैर ही विक्रय किया गया है और इसी के तहत करापवंचन की मंशा से वह लूज बिल का संधारण कर रहा था। इस आधार पर निर्धारण प्राधिकारी के आदेश की अपीलीय आदेश में पुष्टि की गई है।

5. बहस प्रारम्भ करते हुए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी खाद्य तेल एवं खल का व्यवहारी है परन्तु साथ ही साथ "forwarding & bargaining" सौदे भी करता है तथा दिनांक 20.09.2008 को उसने M/s राज ब्रोकर जयपुर के माध्यम से "bargaining सौदे" किये थे, जिस हेतु उसने तीन खाली बिल (क्र. 984, 985 व 986) M/s राज ब्रोकर, जयपुर को उपलब्ध करवाये थे जो कि उसके द्वारा आगे क्रेताओं को जारी किये जाने थे। परन्तु बिक्री सौदा होने के बाद में ब्रोकर द्वारा बिक्री के ये बिल अपीलार्थी को उसी दिन नहीं भेजे जा सके जिस कारण से वह इसकी प्रविष्टि लेखा पुस्तकों में नहीं कर सका। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि दिनांक 20.09.2008 को शनिवार था एवं 21.09.2008 को रविवार था जिस कारण इसकी सूचना ब्रोकर द्वारा समय पर नहीं दी जा सकी थी, परन्तु दिनांक 23.09.2008 को बिल प्रस्तुत कर दिये गये थे। उन्होंने यह भी कथन किया कि ट्रेड प्रेक्टिस के अनुसार खाली बिल ब्रोकर को दिये जाते हैं, अतः बाद में प्रस्तुत कर दिये गये बिलों को स्वीकार नहीं कर सक्षम प्राधिकारी ने विधिक त्रुटि की है।

contd - 3

31

6. उन्होंने एक तकनीकी आक्षेप यह भी लगाया कि जब सर्वेक्षण के समय लूज़ पेपर्स अभिग्रहीत किये गये थे तो यह कार्यवाही दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष की जाकर सीज़र मीमो जारी करना चाहिये था जो कि नहीं किया गया, अतः की गई कार्यवाही अविधिक है। द्वितीयतः उन्होंने यह भी आपत्ति की कि प्रत्युत्तर के साथ में बिल प्रस्तुत कर दिये गये थे परन्तु उसके प्रत्युत्तर में उल्लिखित तथ्यों की भी भली-भांति जांच नहीं की गई। उन्होंने इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय CTO Vs. Badri Lal Kedar Lal (42 TUD Page 1) तथा राजस्थान कर बोर्ड का निर्णय सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स कीवी फार्मास्यूटिकल्स (44 TUD Page 16) उद्धरित करते हुए कथन किया कि लूज़ पेपर सीज़र करने के समय दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति आवश्यक है जिसकी प्रस्तुत प्रकरण में पालना नहीं की गई। साथ ही उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा बाद में बिल पेश कर दिये जाने पर इसकी भली-भांति जांच किये जाने के उपरान्त ही शास्ति आरोपण की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। इस सम्बन्ध में उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय स.वा.क.अ. बनाम मैसर्स मगदास पुत्र पीरमदास (43 TUD Page 161) तथा स.वा.क.अ बनाम मैसर्स राज ट्रेडर्स (37 TUD Page 11) उद्धरित किये। इन सभी कारणों से उन्होंने आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपण को अविधिक बताते हुए अपील स्वीकार करने तथा अवर अधिकारियों के आदेश अपास्त करने का निवेदन किया।

7. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अवर अधिकारियों के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में साक्ष्य देने चाहिये थे जिसमें वह स्वयं ब्रोकर को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत कर सकता था या उसकी तरफ से शपथ पत्र पेश कर सकता था। अपीलार्थी को अपने बचाव में किये गये कथन को साबित करने का भार स्वयं उसी पर था, जिसमें वह असफल रहा है। द्वितीयतः, बिल ब्रोकर के द्वारा जारी करने की कोई व्यावहारिक या विधिक अनिवार्यता नहीं है। यदि कोई विक्रय संव्यवहार ब्रोकर के माध्यम से होता है तो ब्रोकर उस सौदे की सूचना विक्रेता को देता है जिसके आधार पर उसे ही बिल बनाना चाहिये था। यह भी कथन किया कि चूंकि अपीलार्थी के कोई दस्तावेज अभिग्रहीत नहीं किये गये थे, अतः सीज़र मीमो या दो गवाहों की आवश्यकता ही नहीं थी तथा कि कुछ दस्तावेज मात्र सत्यापनार्थ ही प्राप्त किये गये थे, अतः प्रक्रियागत कोई कमी नहीं रही है। उन्होंने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने का आग्रह किया।

8. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

9. यह तथ्य अविवादित है कि सर्वेक्षण दिनांक 22.09.2008 को व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर तीन बिक्री बिल क्रमांक 784, 785 एवं 786 बिल फाईल में नहीं पाये गये थे

21

Contd --- 4

तथा उक्त बिक्री बिलों के संव्यवहार भी मौके पर सत्यापित नहीं करवाये गये थे। दिनांक 23.09.2008 को व्यवहारी ने उपस्थित होकर यह बताया था कि उक्त बिक्री बिल दिनांक 20.09.2008 को जारी किये गये थे तथा इनके द्वारा विक्रीत माल सरसों खल ब्रोकर के माध्यम से बेचान की गई थी। वक्त जांच दिनांक 22.09.2008 तक के बिक्री इनवॉइस बिल फाईल पर मौजूद थे तथा अन्तिम जारी बिल का क्रमांक 991 था। यद्यपि जांच के समय अपीलार्थी फर्म के पार्टनर श्री सुनील जैन द्वारा केवल यही कथन किया गया था कि उक्त तीनों बिल उनके ब्रोकर के पास हैं तथा फर्म की तरफ से किये जाने वाले बेचान के समय इन्हें काम लिया जायेगा। व्यवहारी द्वारा दिनांक 22.09.2008 को दिये गये इन बयानों से यह कहीं भी प्रकट नहीं होता है कि संदर्भित तीनों बिलों के द्वारा माल का बेचान दिनांक 20.09.2008 को ही कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी का यह कथन प्रामाणिक नहीं पाया जाता है कि दिनांक 20.09.2008 को की गई बिक्री की सूचना उसे 22.09.2008 सर्वेक्षण के समय तक नहीं थी। द्वितीयतः, अपीलार्थी का यह कथन भी मान्य नहीं किया जा सकता कि उसने खाली बिल अपने ब्रोकर को दे दिये थे जो कि उसने माल की बिक्री करने पर जारी कर दिये थे। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 71 एवं 72 तथा वैट नियम 38 यह कहीं भी अनुमत नहीं करता है कि बिक्री की इनवॉइस किसी तृतीय पक्ष द्वारा जारी किये जाये। सामान्य व्यापार क्रम में यह तथ्य भी मानने लायक नहीं पाया जाता है कि किसी व्यवहारी के माल की बिक्री कर दिये जाने के दो दिन पश्चात् भी उसे यह जानकारी ही न हो कि उसका अमुक माल तीन दिन पूर्व ही बिक चुका है। अतः अपीलार्थी का यह कथन पश्च-विचारित (after thought) पाया जाता है कि सन्दर्भित तीनों बिलों की बिक्री दिनांक 20.09.2008 को ही की जा चुकी थी। साथ ही वक्त जांच उक्त बिक्री घोषित नहीं किया जाना भी प्रमाणित पाया जाता है।

10. अपीलार्थी द्वारा जो न्यायिक निर्णय सन्दर्भित किये गये हैं, उन निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया। इनमें प्रथम दो न्यायिक निर्णय- 42 TUD 1 तथा 44 TUD 16, दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति के सम्बन्ध में सन्दर्भित किये गये हैं, उनमें सर्व की कार्यवाही, सीज़र मीमो एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष तैयार करने की अनिवार्यता बताई गई है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में विवाद केवल तीन बिलों का सम्बन्धित बिक्री बिल फाईल में मौजूद नहीं होने के सम्बन्ध में है जिसकी वक्त जांच अनुपलब्धता के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, अतः सन्दर्भित निर्णय प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। इसी प्रकार प्रत्युत्तर के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच किये जाने के सम्बन्ध में सन्दर्भित निर्णयों में 43 TUD Page 161 जहां मार्गस्थ माल की जांच एवं तत्पश्चात् थोड़ी ही देर में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के सम्बन्ध में है वहीं 37 TUD

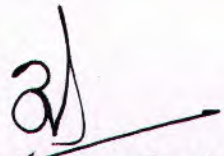


Contd ---5

Page 11 भी मार्गस्थ माल के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजों के बारे में है, अतः तथ्यों की भिन्नता के कारण उक्त सन्दर्भित निर्णय भी प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं।

11. उक्त विवेचना के अनुसार अपीलीय आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है, फलतः इसकी पुष्टि की जाती है तथा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया


(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य